संख्या-3 / 2018 / 2981 / 33-2-2018-56जी / 17

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
2- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उ0प्र0 ।
3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी / मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0 ।
4- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायातें, उ0प्र0 ।
5- समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायतें, उ0प्र0 ।

पंचायती राज अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 05 जून, 2018

विषय- जिला पंचायतों में ई-प्रोक्योरमेण्ट / ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1 / 2017 / 642 / 33-2-17-37जी / 17, दिनांक 10 अप्रैल, 2017, पत्र संख्या-670 / 33-2-17-56जी / 17, दिनांक 19 अप्रैल, 2017 एवं पत्र संख्या-1105 / 33-2-17-56जी / 17, दिनांक 18 मई, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से जिला पंचायतों में सामान्य निविदा प्रणाली के स्थान पर ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- उल्लेखनीय है कि आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 6 / 2018 / 256 / 78-2-2018-42आई0टी0 / 2017टीसी, दिनांक 24 अप्रैल, 2018 द्वारा रूपये 10.00 लाख तक की निविदायें ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से आमंत्रित किये जाने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। उक्त शासनादेश आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की बेवसाइट पर अपलोड है।

2- इस सम्बन्ध में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल, 2018 के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्राविधानों को प्रदेश की जिला पंचायतों में यथावत् लागू कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0, लखनऊ।
2- आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार खरे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।